सी. बी. आई.

बनाम

करीमुल्ला ओसान खान

(2009 की आपराधिक अपील सं. 1127)

मार्च 4,2014

[के. एस. राधाकृष्णन और विक्रमजीत सेन, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:

धारा 216- आरोप में परिवर्तन बॉम्बे बम विस्फोट मामले (12.3.1993) में फरार आरोपियों में से एक आरोपी बाद में पकड़ा गया- आरोप विरचित किए गए- आपराधिक षडयंत्र के मूल अपराध अंतर्गत धारा 3 (2) टी. ए. डी. ए. सपठित धारा 120 आईपीसी के आरोप लागू, परंतु उल्लेखित नहीं- आरोप जोड़ने के लिए सी. बी. आई. द्वारा आवेदन-नामित न्यायालय द्वारा खारिज- अवधारित: यह एक उपयुक्त मामला है जहाँ न्यायालय को सी. आर. पी. सी. की धारा 216 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए था और आरोप परिवर्तन के लिए सी. बी. आई. द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार करना चाहिए। नतीजतन, विवादित आदेश को दरकिनार किया जाता है - सी. बी. आई. द्वारा धारा 216 के तहत दिए गए

आवेदन को अनुमति दी जाएगी और नामित न्यायालय को मामले में विधिनुसार अग्रिम कार्यवाही के निर्देश दिए जाते हैं।

इसके खिलाफ सी. बी. आई. द्वारा हस्तगत अपील नामित न्यायालय के आदेश के विरूद्ध दायर की गई, जिसे आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1987 के अधीन स्थापित किया गया तथा सी. बी. आई. द्वारा धारा 216 के तहत आवेदन बाबत आरोप जोड़ने अंतर्गत धारा 302 आई. पी. सी. तथा आई. पी. सी. के तहत अन्य आरोप तथा विस्फोटक अधिनियम सपठित धारा 120 बी आई. पी. सी. तथा टाडा की धारा 3 (2) भी प्रत्यर्थी बॉम्बे बम विस्फोट मामले में, जो कि दिनांक 12.3.1993 को हुआ था, जिसमें 257 लोगों की मौत, 713 घायल और लगभग रु. 27 करोड़ मूल्य की संपत्ति को नुकसान हुआ था। चूँकि प्रतिवादी फरार था और दिनांक 22-08-2008 को गिरफ्तार किया गया था, उसे पुलिस हिरासत पर रिमांड पर लिया गया और अग्रिम अनुसंधान किया गया। दिनांक 1-01-2009 को नामित न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी पर षडयंत्र का आरोप धारा 120डी आई. पी. सी.सपठित धारा 3 (3) टाडा विरचित किया गया। सी.बी.आइ. की ओर से यह तर्क दिया गया कि आपराधिक षडयंत्र के मूल अपराध अंतर्गत धारा 3 (2) टी. ए. डी. ए. सपठित धारा 120 आईपीसी के तहत आरोप उल्लेखित नहीं। अतः सी. बी. आई. द्वारा दिनांक 26.2.2009 को आवेदन अंतर्गत धारा 216 के तहत आवेदन बाबत आरोप जोड़ने अंतर्गत धारा 302 आई. पी. सी. तथा आई. पी. सी. के

तहत अन्य आरोप तथा विस्फोटक अधिनियम सपठित धारा 120 बी आई. पी. सी. तथा टाडा की धारा 3 (2)। न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन खारिज किया गया।

न्यायालय द्वारा अपील को अनुमत करते हुए अवधारित किया गयाः

1.1 नामित न्यायालय यह सराहना करने में विफल रहा कि अतिरिक्त आरोप-पत्र दिनांक 17.11.2008, जो प्रत्यर्थी के विरूद्व दायर किया गया था, वह मूल चालान दिनांक 4.11.1993 की निरंतरता में था तथा अतिरिक्त आरोप-पत्र के साथ संलग्न गवाह सूची अतिरिक्त गवाहों की सूची के रूप में दिखायी गयी थी। साथ ही उस समय उपलब्ध संपूर्ण सामग्री, जिसके आधार पर प्रत्यर्थी अभियुक्त के और अन्य अभियुक्तगण के फरार होने के दौरान आरोप विरचित किए गए, वह आरोप विरचित करने या आरोप परिवर्तित करने के प्रक्रम पर अभियोजन के पास प्रत्यर्थी के विरूद्व उपयोग में लेने हेतु मौजूद है। [पैरा 10] [598-जी-एच; 599]

1.2 इसके अलावा, यह एक ऐसा मामला है जहाँ प्रत्यर्थी अभियुक्त लगभग 15 वर्षों से फरार था और इसलिए देरी के लिए अकेले अभियोजन को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। [पैरा 11] [599-बी]

1.3 धारा 216, सी. आर. पी. सी. विचारण न्यायालय को काफी शक्तियाँ देती है, जैसे कि साक्ष्य समाप्त होने, बहस सुनने तथा निर्णय सुरक्षित रखे जाने तक, न्यायालय द्वारा शर्तों के अधीन आरोप परीवर्तित

किया जा सकता है तथा जोड़ा जा सकता है। अभिव्यक्तियाँ "किसी भी समय" और "निर्णय सुनाया जाए" से पूर्व यह इंगित करेगा कि शक्ति बहुत व्यापक है और इसका प्रयोग उचित मामलों में न्यायहित में किया जा सकता है, लेकिन उस समय न्यायालय द्वारा यह भी देखना चाहिए कि न्यायालय द्वारा पारित आदेश से अभियुक्त के प्रति कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं होना चाहिए। अपराध का परिवर्तन या जोड़ा जाना न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान अभिलिखित साक्ष्य के आधार पर होना चाहिए। [पैरा 15] [601-डी-एफ]

जसविंदर सैनी और अन्य बनाम राज्य (एन. सी. टी. सरकार दिल्ली) 2013 (7) एससीआर 340 = (2013) 7 एससीसी 256; ठाकुरशाह बनाम सम्राट ए. आई. आर 1943 पी.सी. 192; हरिहर चक्रवर्ती बनाम पश्चिम बंगाल राज्य ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 266- संदर्भित।

1.4 जहाँ तक तत्काल मामले का संबंध है, दिनांक 12.3.1993 (बॉम्बे विस्फोट) को हुई घटना के संबंध में, 123 अभियुक्तगण के संबंध में विचारण समाप्त किया गया, जिसमें से 100 व्यक्तियों को नामित न्यायालय द्र दोषी ठहराया गया और इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.3.2013 द्वारा 98 अभियुक्तगणों के दोषसिद्धि की पुष्टि की गई। [पैरा 16] [601-जी-एच]

एस्सा @अंजुम अब्दुल रज़ाक मेमन बनाम स्टेट ऑफ़ महाराष्ट्र 2013 (4) स्केल 1; इब्राहिम मूसा चौहान @ बाबा चौहान बनाम महाराष्ट्र राज्य 2013 (4) स्केल 207; अहमद शाह खान दुर्रानी @ए. एस. मुबारक एस. बनाम राज्य बनाम फजल रहमान अब्दुल 2013 (4) स्केल 401; संजय दत्त (ए-117) बनाम महाराष्ट्र राज्य द्वारा सी. बी. आई. (एस. टी. एफ.), बॉम्बे 2013 (4) स्केल 462- संदर्भित।

1.5 प्रत्यथी अभियुक्त के खिलाफ अतिरक्त आरोप-पत्र आपराधिक षडयंत्र के साथ-साथ टाडा अधिनियम की धारा 3 (3) के तहत दायर किया गया तथा अतिरिक्त गवाहों की सूची और दस्तावेज उसके साथ संलग्न थे। नामित न्यायालय ने प्रत्यर्थी के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र अंतर्गत धारा 120-बी आई. पी. सी. सपठित 3 (3) टाडा अधिनियम के तहत आरोप विरचित किए, लेकिन आपराधिक षड्यंत्र के मूल अपराध अंतर्गत धारा 3 (2) टी. ए. डी. ए. सपठित धारा 120 बी आईपीसी व अन्य आरोपों उल्लेख नहीं था। इन परिस्थितियों में यह एक उपयुक्त मामला है जहाँ न्यायालय को सी. आर. पी. सी. की धारा 216 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए था और आरोप परिवर्तन के लिए सी. बी. आई. द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार करना चाहिए। नतीजतन, विवादित आदेश को दरकिनार किया जाता है -- सी. बी. आई. द्वारा धारा 216 के तहत दिए गए आवेदन को अनुमति दी जाएगी और नामित न्यायालय को मामले में

विधिनुसार अग्रिम कार्यवाही के निर्देश दिए जाते हैं।[पैरा 17 18] [602-एफ-एच; 603-ए-बी]

संदर्भित निर्णयः

2013 (7) एससीआर 340	संदर्भित	पैरा 12
ए.आई.आर 1943 पी.सी.192	संदर्भित	पैरा 13
ए.आई.आर 1954 एस.सी. 266	संदर्भित	पैरा 15
2013 (4) स्केल 1	संदर्भित	पैरा 15
2013 (4) स्केल 207	संदर्भित	पैरा 15
2013 (4) स्केल 272	संदर्भित	पैरा 15
2013 (4) स्केल 401	संदर्भित	पैरा 15
2013 (4) स्केल 462	संदर्भित	पैरा 15

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील सं 1127 वर्ष 2009 की ।

नामित न्यायालय बॉम्बे बम विस्फोट, मुंबई बी. बी. सी. नंबर 2 वर्ष 2008 के निर्णय और आदेश दिनांकित 28.04.2009 से।

सिद्धार्थ लूथरा, एएसजी, ए. के. कौल, जी. एस. बेदी, अरविंद कुमार शर्मा, बी. वी. बलराम दास अपीलार्थी की ओर से।

सतबीर पिल्लानिया, सोमवीर देसवाल अनी के. चोपड़ा प्रार्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय के. एस. राधाकृष्णन, जे. द्वारा पारित किया गया

1. इस मामले में बम विस्फोट मामले, ग्रेटर बॉम्बे के लिए टाडा (पी) अधिनियम, 1987 के तहत नामित न्यायालय द्वारा पारित आदेश की वैधता से चिंतित है, जिसमें क्रेन्द्रीय जांच ब्यूरो (संक्षेप में 'सी. बी. आई.') द्वारा दायर आवेदन अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 216 (संक्षेप में 'सी. आर. पी. सी.') के तहत धारा 302 के तहत दंडनीय आरोपों और भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में 'आई. पी. सी.') और विस्फोटक अधिनियम के तहत अन्य आरोपों तथा आई. पी. सी. की धारा 120-बी आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1987 (संक्षेप में 'टाडा अधिनियम') की धारा 3 (2) के तहत भी। को जोड़ने के लिए को खारिज कर दिया गया है।

2. मुंबई शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों में दिनांक 12.3.1993 को बम विस्फोटों की एक श्रृंख्ला देखी गई, जिसमें 257 लोग मारे गए, 713 लोग घायल हुए और लगभग 27 करोड़ रूपए की संपत्ति की व्यापक क्षति हुई। राज्य पुलिस ने 27 आपराधिक मामले दर्ज किए। दिनांक 4.11.1993 को 189 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ नामित न्यायालय में एकल आरोप-पत्र दायर किया गया था, जिनमें से 44 को फरार दिखाया

गया था। दिनांक 19.11.1993 को राज्य पुलिस से जांच सीबीआई को स्थानांतरित कर दी गई आैर सीबीआई ने मामला अपराध सं. आर. सी. 1 (एस)/93 /एसटीएफ/बीबी दर्ज किया। सी. बी. आई. ने बाद में सी.अार.पी.सी. की धारा 173(8) के तहत नामित न्यायालय के समक्ष पूरक रिपोर्ट प्रस्तुत की और मामला न्यायालय के वाद नं. बी. बी. सी. 1, 1993 के रूप में दर्ज किया गया था। आगे की जांच के लिए सी. बी. आई. द्वारा दिनांक 25.11.1993 को नामित न्यायालय से अनुमति प्राप्त की गई थी। इस दौरान प्रत्यर्थी आरोपी करीमुल्लाह आेसान खान की संलिप्तता का खुलासा हुआ और उसे गिरफ्तार करने के प्रयास किए गए। नामित न्यायालय ने उसके खिलाफ दिनाक 5.8.1994 को उदघोषणा जारी की व दिनांक 8.9.1994 को उसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया।

3. नामित न्यायालय ने दिनांक 10.4.1995 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित सभी अभियुक्तगण के खिलाफ और प्रत्यर्थी- आरोपी नं. 193 और अन्य सभी अज्ञात व्यक्तियों सहित फरार अभियुक्तगण के खिलाफ निम्नलिखित धाराओ के तहत आपराधिक साजिश का एक सामान्य आरोप विरचित कियाः

> "1. टाडा (पी) अधिनियम, 1987 की धारा 3 (3) और आईपीसी की धारा 120बी के साथ धारा 3 (2)(I)(II), 3(3), 3(4), 5 और 6 टाडा (पी) अधिनियम, 1987 और

आईपीसी की धारा 302, 307, 326, 324, 427, 435, 436, 201 और 212 के साथ।

2. शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 3 और 7 आर/डब्ल्यु धारा 25(1ए), [1 बी (ए)]।

3. विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 9-बी(1),(ए),(बी), (सी)।

4. विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 3, 4 (ए), (बी), 5 और 6।

5. सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984 की धारा 4।

तब नामित न्यायालय ने धारा 299 सीआरपीसी में निहित प्रावधानों के अनुसार, फरार आरोपी सं. 193 सहित गवाहो के परीक्षण के लिए दिनांक 19-06-1995 को एक आदेश जारी किया।

4. प्रत्यर्थी अभियुक्त सं. 193, जो फरार था, को बाद में दिनांक 22-08-2008 को मुंबई में गिरफतरी किया गया, और पुलिस हिरासत में भेज दिया गया और आगे की जांच की गई। आगे की जांच के दौरान प्रत्यर्थी अभियुक्त ने एक संस्वीकृति दी, जो टाडा अधिनियम की धारा 15 के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें उसने आपराधिक साजिश में अपनी भूमिका स्वीकार की थी, जिसके लिए उपरोक्त सामान्य आरोप तय किए गए थे।

जांच पूरी होने पर आपराधिक साजिश के साथ-साथ टाडा अधिनियम की धारा 3 (3) के तहत दंडनीय अपराध के लिए प्रत्यर्थी अभियुक्त के खिलाफ दिनांक 17-11-2008 को एक पूरक आरोप-पत्र दायर किया गया था आैर अतिरिक्त गवाहों आैर अतिरिक्त दस्तावेजों की सूची संलग्न की गई थी। पूरक आरोप-पत्र के साथ 1.1.2009 को नामित न्यायालय ने टाडा अधिनियम की धारा 3 (3) के साथ पढी गई। आई. पी. सी. की धारा 120-बी के तहत प्रत्यर्थी अभियुक्त को खिलाफ साजिश का आरोप तय किया, लेकिन सी. बी. आई. का बयान है कि अनजाने में मूल आरोप आई. पी. सी. की धारा 120-बी के साथ पठित टाडा अधिनियम की धारा 3 (2) और लागू अन्य अपराधों का उल्लेख नहीं किया गया था। 3.2.2009 को, साक्ष्य को सीबीआई द्वारा बंद कर दिया गया था और 6.2.2009 को, प्रत्यर्थी अभियुक्त का बयान दर्ज किया गया। जैसा कि पहले ही अंकन किया जा चुका है, सी. बी. आई. ने 26.2.2009 को धारा 216 सीआरपीसी के तहत धारा 302 आईपीसी के तहत दंडनीय आरोपों और आईपीसी और विस्फोटक अधिनियम के तहत धारा 120-बी आइर्पीसी और टाडा अधिनियम की धारा 3 (2) के साथ पढ़े जाने वाले अन्य आरोपों को जोड़कर आरोप में बदलाव के लिए एक आवेदन दायर किया था। नामित न्यायालय ने 28.4.2009 को सी. बी. आई. द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया, जिसके खिलाफ यह अपील की गई है।

5. नामित न्यायालय ने सी. बी. आई. द्वारा दिए गए आवेदन की जाँच करते समय निम्नलिखित बिंदु तय किएः

ए) क्या मुंबई में विभिन्न स्थानों पर विस्फोटक पदार्थों का उपयोग करते आतंकवादी कृत्यों को अन्जाम देने आैर उस उददेश्य के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए हथियारों को भारतीय तट पर लाने के लिए सहमत होने के लिए आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप जाेड़ने हेतु रेकाॅर्ड पर कोई साक्ष्य मौजूद है?आपराधिक साजिश?

बी) क्या विस्फोटक के उपयोग से आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देना अपराधी के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाना साजिश? क्या आरोप जोड़ने के लिए रिकॉर्ड पर कोई साक्ष्य है?मृत्यु का कारण बनना और मृत्यु का कारण बनने का प्रयास, मानव शरीर को चोट पहुँचाना और संपत्ति को नुकसान पहुँचाना, कथित आरोप होने के योग्य हैं

सी) क्या कथित आरोप परिवर्तित और प्रार्थना के रूप में जोड़े जाने योग्य है?

6. आवेदन के समर्थन में सीबीआई ने निम्नलिखित आधारों पर प्रकाश डालाः

1) सांप्रदायिकता अशाति फैलाने और सरकार को अस्थिर करने के लिए साजिश रची गई। अभियुक्तगणों द्वारा भारी मात्रा में हथियारों आैर गोला बारूद की भारत में तस्तरी की गई और मुंबई में विभिन्न स्थानों पर

उपयोग किया जाता है। 27 मामले दर्ज किए गए और नामित अदालत में 189 अभियुक्तगणों के खिलाफ संयुक्त आरोप-पत्र दायर किया गया, जिनमें से 44 अभियुक्त को उक्त मामले में बीबीसी 1 /1993 में फरार के रूप में दिखाया गया नं।

2) नामित न्यायालय ने 10.4.1995 को उन अभियुक्तगणों के खिलाफ साजिश के लिए आरोप तय किए जो उस समय उसके सामने मौजूद थे। साथ ही प्रत्यर्थी अभियुक्त के खिलाफ जिसकी संलिप्तता का खुलासा किया गया था और आरोप भी लगाया गया था, क्योंकि वह फरार आरोपी होने के नाते उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया।

3) अभियोजन पक्ष ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 299 के तहत एम. ए. 139/94 आवेदन दायर किया और अदालत ने मंजूरी दे दी। फरार अभियुक्त के मुकदमे में शामिल होने की स्वतंत्रता जब भी उसे गिरफ्तार किया जाता है और उक्त साक्ष्य दिनांकित 19.6.1995 भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 299 के तहत दर्ज किया गया।

4) अभियोजन पक्ष ने यह दिखाने के लिए साक्ष्य पेश किए कि प्रत्यर्थी अपराधी में मूल रूप से शामिल था, जो आरोपी व्यक्तियों द्वारा विभिन्न आतंकवादी गितिविधियों को अंजाम देने के लिए रची गई थी और प्रत्यर्थी अभियुक्त ने उक्त आपराधिक साजिश में सक्रिय रूप से भाग लिया।

5) मोहम्मद. उस्मान, जो एक सरकारी गवाह था, से आईपीसी की धारा 120- बी के तहत दंडनीय आरोप के लिए पूछताछ की गई और उक्त गवाह ने प्रत्यर्थी की पहचान की और मुख्य अभियुक्त टाइगर मेमन के लिए अन्य सह-अभियुक्तों द्वारा हथियार पहुंचाने में उसकी भूमिका के बारे में भी बताया। इसके अलावा, यह बताया गया कि आरोपी ने लैंडिंग कार्य के लिए आगे बढ़ने से पहले मेमन द्वारा आयोजित षंडयंत्रकारी बैठक में भाग लिया था।

6) आरेापी ने लैंडिंग आॅपरेशन में और मुंबई में विभिन्न हथियारों और गोला बारूद की तस्करी में भी मुख्य अभियुक्त की दो बार सहायता की। इसके अलावा, प्रत्यर्थी ने हथियार उतारने में अपनी भागीदारी और कानून के चंगूल से बचने के लिए पाकिस्तान भागने की बात भी स्वीकृत की थी।

7) उसके द्वारा की गई संस्वीकृति को गवाह एसपी श्री सुजीत पांडे और डिप्टी ने साबित कर दिया। एसपी श्री त्यागी ने कहा कि संस्वीकृति स्वैच्छिक थी और दूसरों की संस्वीकृति के साथ पढ़े जाने पर साक्ष्य में स्वीकार्य है।

7. बचाव पक्ष ने यह कहते हुए आरोपों में परिवर्तन की प्रार्थना का विरोध किय कि वही अभियुक्त को पूर्वाग्रहित करेगा और इरादा मुकदमे की कार्यवाही में देरी करना और यह देखना है कि आरोपी जेल में बंद है।

इसके अलावा यह भी बताया गया कि फरार होना आरोपों में बदलाव का आधार नहीं है। इसके अलावा यह भी कहा गया था कि अभियोजन पक्ष न्यायालय के मुकदमे के अंतिम चरण में संपूर्ण् साक्ष्य की सराहना करने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा है और बताया कि पहले से पेश किए गए साक्ष्यों को भी पुष्टि की आवश्यकता है। यह बताया गया पहले से दर्ज किए गए साक्ष्य यह नहीं दिखाएंगे कि प्रत्यर्थी आपराधिक साजिश में एक पक्ष था और उसने कि साक्ष्य भी पहले से ही प्रस्तुत किए गए हैं। यह नहीं दिखाएगा कि प्रतिवादी आपराधिक साजिश का एक पक्ष था और उसने टाडा अधिनियम की धारा 3(2) के तहत वर्णित कोई भी कायर् किया था। इसके अलावा यह भी बताया गया था कि अन्य अभियुक्तगण के संबंध में न्यायालय द्वारा 06-02-2009 को पारित आदेश का कोई मतलब नहीं है और जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 216 के तहत आवेदन की जांच की जा रही है, जो सामग्री के आधार पर स्वतंत्र रूप से जांच की जानी चाहिए, उस मामले में उपलब्ध है।

8. हमने अपीलकर्ता की और से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त साॅलिसिटश्र श्री सिद्धार्थ लूथरा और प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री सतबीर पिल्लानिया को विस्तार से सुना। विद्वान वकील ने अपने-अपने रुख पर प्रकाश डाला पहले से ही अभिलेख पर सामग्री पर निर्भरता रखने के साथ-साथ धारा 216 सी. आर. पी. सी. की व्याख्या पर भी प्रकाश डाला।

9. हम, इस मामले में, मुख्य रूप से दायरे से संबंधित हैं। सी. आर. पी. सी. की धारा 216 और न्यायालय की परिवर्तन करने या जोड़ने की शक्ति फैसला सुनाए जाने से पहले किसी भी समय आरोप लगाया जाता है। आवेदन को अस्वीकार करने में नामित न्यायालय द्वारा निम्नलिखित कारण दिए गए हैं

(अ) साक्ष्य को बंद करने के बाद आवेदन दायर किया गया है और मामले में देरी हो रही है।

(ख) फरार प्रत्यर्थी के खिलाफ आरोप तय नहीं किया जा सका।

(ग) एस. एल. पी. (सी. आर. एल.) में 06.2.2009 दिनांकित आदेश। सं. 569 /2009 शीर्षक सी. बी. आई. बनाम. अबू सलेम अंसारी और अन्य है। और नामित न्यायालय का आेदश दिनांकित 02.12.2008 अंतिम है और प्रतिवादी के खिलाफ आरोप थे।

(घ) स्वीकारोक्ति की स्वैच्छिकता प्रत्यर्थी का ट्रायल कोर्ट में कानूनी परीक्षण किया जाना चाहिए।

(ई) स्वीकारोक्ति की स्वैच्छिकता प्रत्यर्थी का ट्रायल कोर्ट में कानूनी परीक्षण किया जाना चाहिए।

(एफ) इंगित करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री नहीं है कि अभियुक्त पर सदस्य होने का आरोप लगाया जा सकता है। आपराधिक साजिश और यह मामला नहीं है। किसी भी आतंकवादी कृत्य को करने में

सक्रिय भाग लेना, जैसा कि अन्य अभियुक्तों द्वारा किया गया था, जिन पर पहले से ही व्यक्तिगत कृत्यों के लिए आरोप लगाया गया है और जिन्हें दोषी ठहराया गया है। बीबीसी 1/93 का परीक्षण करें।

(छ) उचित समय पर उचित उपाय करने में देरी अभियोजन पक्ष की ओर से आम बात बन गई है, जिसकी सराहना नहीं की जा सकती।

(जी) अभी भी यह इंगित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि आरोपी ऐसी किसी सभा का सदस्य था, जो मुंबई या कहीं आैर आतंबवादी कृत्य करने के लिए सहमत हुई थी। यहां तक कि आरोप-पत्र में किसी भी पुराने सबूत या गवाह का कोई अंश भी उदधृत नहीं किया जाता है और न ही किसी गवाह का बयान उसके साथ संलग्न किया जाता है।

10. हमें जांच करनी पड़ सकती है कि क्या कारण बताए गए हैं ऊपर दिए गए आवेदन को सी. बी. आई. द्वारा सी. आर. पी. सी. की धारा 216 के तहत अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त होगा। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है। शुरू में, राज्य पुलिस द्वारा जाँच शुरू की गई थी और बाद में, इसे सी. बी. आई. को सौंपा गया और यह जांच के दौरान था। सी. बी. आई. द्वारा दिनांक 5.8.1994 को प्रत्यर्थी अभियुक्त की संलिप्तता का खुलासा किया गया था और प्रकट किया गया और गिरफ्तारी और घोषणा का वारंट उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया। दिनांक 19.6.1995 पर, नामित न्यायालय गवाहों की जांच की अनुमति दी, जिसमें प्रत्यर्थी का

नाम भी दर्ज किया गया था, लेकिन चूंकि वह फरार था, इसलिए उससे पूछताछ नहीं की जा सकी। 7 अभियुक्तों सहित प्रत्यर्थी, जो फरार थे, उन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। विभिन्न दिनों में और 6 फरार अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ नामित न्यायालय द्वारा तय किए गए आरोपों के आधार पर मुकदमे आगे बढ़े। नामित न्यायालय, जैसा कि मूल रूप से विचार किया गया था। लेकिन केवल प्रत्यर्थी के खिलाफ, हाथ में समान सामग्री के साथ, आरोप टाडा की धारा 3 (2) को लागू किए बिना स्पष्ट रूप से तैयार किया गया था। हालांकि केवल प्रत्यर्थी के खिलाफ उसी सामग्री के साथ अधिनियम आई. पी. सी. की धारा 120-बी और आई. पी. सी. के अन्य प्रावधानों के साथ पढ़ा जाता है। नामित न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि पूरक आरोप-पत्र दिनांक 17.11.2008 का पूरक आरोप-पत्र 4-11-1993 को दायर मूल आरोप-पत्र की निरंतरता में था और पूरक आरोप-पत्र के साथ संलग्न गवाहों की सूची इस प्रकार दिखाई गई थी। अतिरिक्त गवाहों की सूची इसके अलावा, उस समय उपलब्ध संपूर्ण सामग्री, जिसके कारण प्रत्यर्थी आरोपी और अन्य अभियुक्तगणों की फरारी के दौरान आरोप तय किए गए। जिसके कारण फरार होने के दौरान आरोप तय किए गए। प्रत्यर्थी अभियुक्त और अन्य अभियुक्त व्यक्ति उपलब्ध हैं। प्रभार के चरण या प्रभार के संशोधन के चरण में प्रत्यर्थी के खिलाफ अभियोजन का उपयोग करने के लिए उपलब्ध है ।

11. उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति के अलावा, यह होना चाहिए याद रखना चाहिए कि यह एक ऐसा मामला है जहाँ प्रत्यर्थी अभियुक्त लगभग 15 वर्षों से फरार था और इसलिए, देरी केवल देरी के लिए अभियोजन पक्ष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है और उपरोक्त परिस्थितियों में, हमें जांच करनी होगी कि क्या सी. आर. पी. सी. की धारा 216 के तहत दायर आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है।

धारा 216 सी. आर. पी. सी. निम्नानुसार हैः

> " 216. (1) कोई भी न्यायालय फैसला सुनाए जाने से पहले किसी भी समय किसी भी आरोप को बदल या जोड़ सकता है।
>
> (2) इस तरह के प्रत्येक परिवर्तन या जोड़ को पढ़ा और समझा जाएगा
>
> (3) यदि किसी आरोप में परिवर्तन या वृद्धि ऐसी है कि मुकदमे के साथ तुरंत आगे बढ़ने की संभावना नहीं है, तो न्यायालय की राय, अभियुक्त को उसके मामले में पूर्वाग्रहित करने के लिए बचाव पक्ष या अभियोजक मामले के संचालन में, न्यायालय, अपने विवेकाधिकार पर, इस तरह के परिवर्तन या जोड़ के बाद परीक्षण के साथ आगे बढ़ें जैसे परिवर्तितया अतिरिक्त शुल्क मूल शुल्क था।

(4) यदि परिवर्तन या जोड़ ऐसा है कि आगे बढ़न से न्यायालय की राय में न्यायालय, अभियुक्त या अभियोजक के प्रति पूर्वाग्रह रखने के लिए उपरोक्त, न्यायालय या तो एक नए मुकदमे का निर्देश दे सकता है या स्थगन कर सकता है ऐसी अवधि, जो आवश्यक हो।

(5) यदि परिवर्तित या जोड़े गए अपराध में कहा गया है अभियोग अभियोजन के लिए एक है, जिसके पूर्ववर्ती मंजूरी आवश्यक है, मामले को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, जब तक ऐसी मंजूरी प्राप्त नहीं हो जाती, जब तक कि मंजूरी न हो समान तथ्यों पर अभियोजन के लिए पहले से ही प्राप्त किया जा चुका है। जिन पर परिवर्तित या अतिरिक्त आरोप लगाया जाता है।

12. यह न्यायालय जसविंदर सैनी और अन्य बनाम राज्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) (2013) 7 एस. सी. सी. 256 में इस न्यायालय को धारा 216 सी. आर. पी. सी. के दायरे की जांच करने के लिए मामला और आयोजित किया गयाः

" 11..... किसी भी आरोप को बदलने या जोड़ने की न्यायालय को अधिकार है, अनियंत्रित बशर्ते कि इस तरह का जोड़ और/या परिवर्तन है फैसला सुनाए जाने से पहले

किया गया। उप-खंड (2) धारा 216 का (5) पालन की जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है। एक बार जब न्यायालय किसी भी आरोप को बदलने या जोड़ने का फैसला करती है। अनुभाग 217 संहिता गवाहों को वापस बुलाने से संबंधित है जब मुकदमा शुरू होने के बाद न्यायालय द्वारा आरोप परिवर्तित कर दिया जाता है तो न्यायालय की क्षमता के बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता।, हालाँकि, धारा 216 में यह सब निर्धारित नहीं किए गए हैं। एक ही ट्राइट कि किसी भी ऐसे जोड़ का सवाल या परिवर्तन आम तौर पर या तो उत्पन्न होता है क्योंकि न्यायालय पहले से ही बनाए गए आरोप को किसी के लिए दोषपूर्ण पाता है, इसका कारण यह है कि इस तरह का जोड़ आवश्यक माना जाता है। मुकदमा शुरू होने के बाद साक्ष्य जो न्यायालय के समक्ष आ सकता है।

12. मामले में जांच के दौरा इकटठा किए गए और ट्रायल कोर्ट में पेश किए गए सबूत आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोप तय करने के लिए पर्याप्त नहीं पाए गए।.....''

13. प्रिवी काउंसिल, ठाकुर शाह बनाम में पेरोर ए. आई. आर. 1943 पी. सी. 192 ने परिवर्तन या वृद्धि इस प्रकार हैंः

" निश्चित रूप से परिवर्तन या जोड़ हमेशा, सीमा के अधीन है कि कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जाना चाहिए, जिससे अभियुक्त पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो जाए, क्योंकि या तो उसे लगाए गए आरोपों के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है या या उसे पूरा करने का पूरा अवसर नहीं दिया गया है और आरोप पर अपने बचाव के लिए किसी भी विकल्प को सामने रखना अंततः पसंद किया गया।''

14. धारा 216 सी. आर. पी. सी. ट्रायल न्यायालय को काफी शक्तियाँ देती है- विचारण न्यायालय, अर्थात साक्ष्य के पूरा होने के बाद भी, तर्कों को सुना जाता है और निर्णय सुरक्षित रहता है, यह उसमें उल्लिखित शर्तों के अधीन किसी भी आरोप को बदल और जोड़ सकता है। अभिव्यक्ति "किसी भी समय" और "निर्णय से पहले है। उच्चारण "इंगित करेगा कि शक्ति बहुत व्यापक है और कर सकते हैं। उचित मामलों में न्याय के हित में प्रयोग किया जाए, लेकिन साथ ही, न्यायालयों को यह भी देखना चाहिए कि उनके आदेश अभियुक्त के प्रति कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं करेगा।

15. सी. आर. पी. सी. की धारा 216 सभी न्यायालयों को अधिकारिता प्रदान करती है और उप-धारा (2) से (5) उस प्रक्रिया को निर्धारित करती है, जिसका उस जोड़ या परिवर्तन के बाद पालन किया जाना है। कहने की जरूरत नहीं है, न्यायालय जोड़ या संशोधन की शक्ति

का प्रयोग कर सकते हैं। सी. आर. पी. सी. की धारा 216 के तहत आरोप, केवल तभी जब वे मौजूद हों। न्यायालय के समक्ष कुछ सामग्री, जिसका कुछ संबंध है या संशोधन किए जाने वाले, जोड़े जाने वाले या लगाए जाने वाले शुल्कों के साथ जोड़ा जाए, यह संशोधित किया गया। दूसरे शब्दों में, शुल्क का परिवर्तन या जोड़ आवश्यक है। इसके दौरान दर्ज साक्ष्य द्वारा किए गए अपराध के लिए होगा न्यायालय के समक्ष विचारण की प्रक्रिया। (हरिहर चक्रवर्ती बनाम पश्चिम बंगाल राज्य ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 266। सिर्फ इसलिए कि मुकदमे के समापन के बाद आरोपों में बदलाव किया जाता है, वह भी स निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगा कि इसके परिणामस्वरूप पूर्वाग्रह पैदा हुआ है। अभियुक्त के लिए क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 216 और अन्य संबंधित प्रावधानों में पर्याप्त सुरक्षा उपाय बनाए गए हैं।

16. हम इंगित कर सकते हैं, जहाँ तक मामला दिनांक 12.3.1993 पर हुई घटना के संबंध में (बॉम्बे विस्फोट), 123 अभियुक्तगण के संबंध में मुकदमा चलाया गया था। निष्कर्ष निकाला गया, जिसमें से 100 व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया था। नामित न्यायालय और इस न्यायालय ने 21.3.2013 पर दर्ज अपने फैसले के माध्यम से 98 अभियुक्तगण की सजा की पुष्टि के मामले निम्नानुसार हैः

i. एस्सा @अंजुम अब्दुल रज़ाक मेमन बनाम स्टेट ऑफ़ महाराष्ट्र 2013 (4) स्केल 1 के रूप में उद्धृत किया गया;

ii. इब्राहिम मूसा चौहान @बाबा चौहान बनाम राज्य महाराष्ट्र 2013 (4) स्केल 207 के रूप में उद्धृत;

iii. अहमद शाह खान दुर्रानी @ए. एस. मुबारक एस. बनाम महाराष्ट्र राज्य 2013 (4) स्केल 272 के रूप में उद्धृत

iv. महाराष्ट्र राज्य बनाम फजल रहमान अब्दुल 2013 (4) स्केल 401 के रूप में उदधृत और य दत्त (ए-117) बनाम महाराष्ट्र राज्यसी. बी. आई. (एस. टी. एफ.) बाम्ब के माध्यम से 2013 (4) स्केल 462", के रूप में उद्धृत किया गया।

17. उन सभी पहलुओं और इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि प्रत्यर्थी को घोषित अपराधी घोषित किया गया था और 15 साल से अधिक समय से फरार है और पर्याप्त सामग्री है पहले से ही रिकॉर्ड में है और अपराध के सभी तत्व हैं। परस्पर जुड़े हुए और परस्पर संबंधित, न्यायालय सरलता से ऐसा नहीं कर सकता है। 27.8.2008 पर उसके द्वारा की गई स्वीकारोक्ति को त्याग दें। जाँच, जो टाडा की धारा 15 के तहत दर्ज की गई थी। अधिनियम, जिसमें उन्होंने आपराधिक साजिश में अपनी भूमिका स्वीकार की थी। साजिश के साथ-साथ धारा के तहत दंडनीय अपराधों के लिए 3 (3) टाडा अधिनियम और अतिरिक्त गवाहों की सूची और उसके साथ

दस्तावेज़ संलग्न किए गए थे। नामित न्यायालय प्रत्यर्थी के खिलाफ आपराधिक साजिश का आरोप तय किया गया टाडा अधिनियम की धारा 3 (3) के साथ पठित आई. पी. सी. की धारा 120-बी के तहत लेकिन, अनजाने में, आपराधिक साजिश का मूल आरोप टाडा अधिनियम की धारा 3 (2) के तहत धारा 120-बी के साथ पढ़ा जाता है और अन्य अपराधों का उल्लेख नहीं किया गया था।

18. उन सभी पहलुओं को देखते हुए, हमारे विचार में, यह उपयुक्त है। मामला जहाँ न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 216 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए था और दिनांकित आवेदन को अनुमति देनी चाहिए थी 26.12.2009 आरोप परिवर्तन के लिए सी. बी. आई. द्वारा दायर किया गया। नतीजतन, विवादित आदेश को अलग कर दिया जाता है। द्वारा पसंदीदा आवेदन सी. बी. आई. को सी. आर. पी. सी. की धारा 216 के तहत अनुमति दी जाएगी और नामित न्यायालय को कानून के अनुसार मामले में आगे बढ़ने का निर्देश दिया जाता है। तदनुसार आदेश दिया।

19. तदनुसार, अपील की अनुमति है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायकता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी नेहा चौहान (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।